# विकलांग जन विकास विभाग की विगत 03 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- ❖ विभिन्न श्रेणी के विकलांगजन एवं उनके संगठन तथा विभिन्न स्वैछिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की मांग थी कि विकलांगजन के सम्बन्ध में, "कल्याण" शब्द न लगाया जाय, जिसके दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "विकलांग कल्याण विभाग" का नाम परिवर्तित कर "विकलांग जन विकास विभाग" किया गया।
- ❖ विकलांगजन के समग्र विकास हेतु, "राज्य पुनर्वास नीति 2014" प्रख्यापित की गयी, जिसमें विकलांगजन के दैनिक जीवन से सम्बन्धित शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, पुनर्वास के साथ–साथ स्वास्थ्य, रोजगार, बाधारहित वातावरण, आवागमन सम्बन्धी सुविधाएं, विकलांगता का प्रमाण–पत्र, समाजिक सुरक्षा आदि पर विशेष रूप से सुविधाओं का प्राविधान किया गया।
- ❖ वर्तमान सरकार ने विकलांगजन को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके आत्मसम्मान को बनाये रखने के उद्देश्य से "शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत धनराशि में वृद्धि की है। विकलांगजन की शादी होने पर पुरूष विकलांग को रू0 11000/– तथा महिला विकलांग अथवा दम्पत्ति के विकलांग होने पर रू0 14000/– प्रोत्साहन पुरस्कार पूर्व में प्रदान किया जाता था जिसे वर्तमान में धनराशि को बढ़ते हुए क्रमशः रू0 15000/– एवं रू0 20000/– कर दिया गया है।
- ❖ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवासरत विकलांगों को विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष आने की बाध्यता के कारण उन्हें अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था जिससे उनको श्रम, समय एवं धन का व्यय करना पड़ता था जिसके दृष्टिगत सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए विकलांगता प्रमाण–पत्र बनाने की प्रकिया का सरलीकरण करते हुए उनके निवास के समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की सुविधा प्रदान की है।
- ❖ विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक विकलांगजन को आच्छादित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 03 वर्षों में 1,43,359 नवीन विकलांगजन को विकलांग पेंशन स्वीकृत कर लाभान्वित किया।
- ❖ विकलांग पेंशन से नवीन लाभान्वित किये गये विकलांगजन में 21,163 अल्पसंख्यक समुदाय के विकलांगजन को लाभान्वित किया गया।
- ❖ डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 5800 चयनित लोहिया ग्रामों में कुल 61,008 विकलांगजन को विकलांग पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है।
- ❖ कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुल 18,292 विकलांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है।
- ❖ शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 4,102 विकलांगजन को लाभान्वित किया गया है।

- ❖ दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं अस्थिबाधित श्रेणी के विकलांग विद्यार्थी अभी तक अपनी विकलांगता के अनुसार अलग–अलग विशेष विद्यालयों में अध्ययन करते थे जिनमें छात्रावास एवं बाधारहित वातावरण की सुविधा कतिपय विद्यालयों में न होने को दृष्टिगत रखते हुए अब एक छत के नीचे इन श्रेणी के विद्यार्थियों को इण्टरमीडिएट स्तर तक की विशेष शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाधारहित वातावरण से युक्त आवासीय विद्यालयों की स्थापना जनपद औरैया, कन्नौज, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया एवं आजमगढ़ में की जा रही है।
- ❖ उत्कृष्ट एवं बाधारहित वातावरण के लिए डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को 03 दिसम्बर, 2014 "विश्व विकलांग दिवस" के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ❖ मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में छात्रावास एवं भोजनालय में भोजन हेतु सामान्य विद्यार्थियों के सापेक्ष विकलांग विद्यार्थियों से आधी धनराशि ली जाती थी जिसे मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर पूर्णतया निःशुल्क करते हुए छात्रावास में आवास एवं भोजनालय में निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- ❖ विकलांगजन को विभिन्न कार्यों के लिए आने–जाने की सुविधा देने के उद्देश्य से 40 प्रतिशत विकलांगता प्रामाण–पत्र धारक को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- ❖ दृष्टिबाधित बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से जनपद लखीमपुर खीरी एवं जनपद मिर्जापुर में एक–एक नवीन राजकीय स्पर्श बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की जा रही है।
- ❖ प्रदेश में अभी तक मूक–बधिर विद्यार्थियों के लिए कोई भी इण्टरमीडिएट स्तर का विद्यालय नहीं है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद लखनऊ में प्रदेश का पहला राजकीय मूक–बधिर इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया।
- ❖ 03 से 06 वर्ष के दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मानसिक मंदिता से प्रभावित बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षित करने के उद्देश्य से 08 बचपन डे केयर सेन्टर संचालित हैं, जिनके सफल संचालन एवं विकलांग बच्चों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष प्रदेश के 10 मण्डलीय जनपदों में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं।
- ❖ विकलांग कर्मचारियों को अपने आवास से कार्य–स्थल पर आने और निवास तक वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत विकलांगजन कार्मिकों को पूर्व से अनुमन्य वाहन भत्ता की दरों में वृद्धि करते हुए वाहन भत्ता की दर दोगुनी करने का शासनादेश निर्गत किया गया।
- ❖ समाज में निराश्रित मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके दैनिक जीवन–यापन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैछिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के लिए धनराशि की व्यवस्था कराई गयी है।